<u>कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर</u>
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

<u>पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना</u>

पुलिस से संबंधित विषयों के उत्कृष्ट लेखकों से पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कारों के लिये 30 सितम्बर तक प्रविष्टियां आमंत्रित

जयपुर 8 सितम्बर। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलीछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिये सृजनशील लेखकों एवं अनुवादकों को **पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना** अन्तर्गत प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 2017 तक उनकी प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी में उत्कृष्ट लेखन को बढावा देने के लिये वर्ष 1982 से पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से पुलिस विषयों पर अच्छे लेखकों की हिन्दी पुस्तकों को शामिल किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना से न केवल राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा बल्कि पुलिसकर्मियों एवं आम जनता को पुलिस से सम्बन्धित विषयों की हिन्दी भाषा में भरपूर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दो भागों में पुरस्कार दिये जायेंगे। योजना के प्रथम भाग में हिन्दी की मूल पुस्तकों व पांडूलिपियों को शामिल किया जायेगा तथा दूसरे भाग के लिये अनुवादित पुस्तकों को शामिल किया जायेगा।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण ने बताया कि इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले पुरस्कारों के लिये पुस्तकों एवं पांडूलिपियों की तीन–तीन प्रतियां सम्पादक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एन.एच.–8 एस.एस.बी. कार्यालय के निकट, महिपालपुर, नई दिल्ली–110037 के पते पर भिजवाई जा सकती है।

उन्होंने बताया कि प्रथम भाग के पुरस्कारों के लिये मूल पुस्तकों के लिये 30–30 हजार रुपये के पांच पुरस्कार दिये जायेंगे। इनमें से एक पुरस्कार महिला लेखक के लिये आरक्षित है, बशर्ते कि उनकी रचनाएं उपलब्ध हों। इसी प्रकार 14–14 हजार के दा पुरस्कार अनुदित पुस्तकों को दिये जायेंगे। इनमें से एक पुरस्कार महिला लेखक के लिये आरक्षित है। बशर्ते कि उनकी रचनाएं उपलब्ध हों।

दूसरे भाग में ब्यूरो पुलिस से संबंधित किसी विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिये प्रति वर्ष 40 हजार रुपये तक का पुरस्कार प्रदान करता है। इसी भाग में एक 40 हजार का पुरस्कार महिलाओं के लिये भी आरक्षित है। ''महिला एवं बाल तस्करी–नियंत्रण में पुलिस की भूमिका'' विषय पर रूपरेखा आमंत्रित की जा रही है। पुरस्कार के प्रथम भाग के लिये 31.12.16 तक प्रकाशित पुस्तकें ही शामिल की जायेंगी। पुस्तकें लगभग 100 पृष्ठ की होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार्य होंगी।

———

राही/मनीष/अमन/संतरा /2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।